न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना माहवर, आर0ए0एस0)

अपील/07/2015 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. अंगूरीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री प्रेमस्वरूप
2. महेशचन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेमस्वरूप
3. गीता देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमस्वरूप

} जातियान ब्राहमण निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1. केशवदेव
2. बृजबिहारी

} पुत्रान गिर्राज जाति ब्राहमण निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर

3. लक्ष्मनसिंह
4. पूरन सिंह

} पुत्रान दयौजी जाति गुर्जर निवासी मडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

5. दीवानसिंह पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मडोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर
6. तहसीलदार रूपवास तामील जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रूपवास नामान्तरकरण संख्या 3619 दिनांक 16.04.2015 बाबत आराजी खसरा नम्बर 429/4–15, 430/2–10, 434/2–18 है0 वाकै ग्राम रूदावल तहसील रूपवास

उपस्थित :–

1–श्री संजय कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री भूपत कुमार जैन, रैस्पो0 सं0 1,3,4 व 5
3 राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 15.09.2020**

अपीलान्टान द्वारा यह अपील विरूद्ध रैस्पोन्डेन्टस व खिलाफ आदेश नामान्तरकरण संख्या 3619 दिनांक 16.04.2015 के पेश की गई है। नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर

संख्या 3619 दिनांक 16.04.2015 उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.03.2015 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसील रूपवास से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 3619 की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई।

दौराने प्रकरण रैस्पो0 योग्य अभिभाषक श्री भूपत कुमार जैन की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.03.15 उनवान प्रेमस्वरूप बनाम केशवदेव वगैरा के इजराय आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 3619 दिनांक 16.04.2015 तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकार किया गया है। इजराय की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील मैन्टेबल नहीं है। निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.15 के विरूद्ध नियमित अपील अपीलान्टान द्वारा न्यायायल भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां पेश कर चुके है। जहां अपील लम्बित है। अपील मैन्टेबल न होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया

वकील अपीलान्टान द्वारा जबाब प्रारम्भिक आपत्ति में कथन किया है सक्षेप में इस प्रकार है कि दाखिल खारिज खोलने में कोई अनियमितता जावे जो न्यायालय श्रीमान् में अपील किये जाने के अलावा अन्य कोई प्रा नहीं है। दाखिल खारिज की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के द्वारा के खिलाफ की गई, अपील की जानकारी होते हुये दौराने अपील नामान्त की कार्यवाही की गई है। निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.15 की कियान्वि रोक लगाने हेतु उसी दिवस प्रार्थना पत्र पेश करने पर 10 दिवस का दिया गया तथा 10 दिवस के अन्दर अपील पेश कर दी गई। केवियट के पर अपील का पूर्ण ज्ञान रैस्पोडेन्ट को रहा है उसके बाबजूद दिनांक 3 को अपील की अवधि समाप्ति से पूर्व ही दिनांक 18.04.15 को दाखिल की कार्यवाही कर दी गई। अपील की अवधि समाप्ति से पूर्व ही पालना जाना न्याय प्राप्ति के अधिकार से बंचित करने की नीति को प्रकट अपील को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर तय किया जाना आ जिससे रेस्पोडेन्ट अपनी इस आपत्ति का निस्तारण करा सकता है न्यायालय व पक्षकारान की सुविधा की दृष्टि से भी उचित होगा। प्रारम्भिक आपत्ति रेस्पोडेन्ट निरस्त फरमाया जाकर अपील को गु आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3619 दिनांक 16.04.15 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.15 एवं इजराय कमांक/राजस्व/15/708 दिनांक 15.04.15 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान का यह कहना कि निर्णय/डिक्री/इजराय की पालना की कियान्विति पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा 10 दिवस के लिये रोक लगाई गई थी। इस कथन के सम्बन्ध में अपीलान्टान की ओर से कोई साक्ष्य दस्तावेजी (कियान्वयन की रोक) का हमारे समक्ष पेश नहीं किये जाने से यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3619 दिनांक 16.04.15 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.03.15 के आधार पर स्वीाकर किया गया है। तहसीलदार रूपवास ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2020 को सुनाया गया।

(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर